UPSR040005672026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**02316

क्रिमिनल मिस/68/2026

गायत्री श्रीवस्तव बनाम. विद्यासागर

दिनांक 19.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। आवेदिका गायत्री श्रीवास्तव के विद्वान अधिवक्ता को प्रा० पत्र अंतर्गत धारा–173(4) B.N.S.S. पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) B.N.S.S. आवेदिका गायत्री श्रीवास्तव की ओर से विपक्षीगण विद्याधर श्रीवास्तव व अन्य के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत कर संक्षेपतः यह कथन किया गया है कि आवेदिका गृहणी व विधवा महिला है। आवेदिका के पति देवेन्द्र श्रीवास्ताव का तबियत खराब रहती थी। विपक्षी सं० 1 आवेदिका के घर पर आया और आवेदिका से कहा कि अपने पति को मेरे साथ भेज दो हम बहराइच ले जाकर दवा इलाज करवा लाये। आवेदिका ने विपक्षी पर विश्वास करके अपने पति को दवा कराने के लिये भेज दिया। विपक्षी सं० 1 दवा इलाज कराने के बहाने आवेदिका के पति को तहसील इकौना जनपद श्रावस्ती ले गया और आवेदिका के पति के नाम गाटा सं० 1828 रकबा 0.00025 हे० व गाटा सं० 1829 रकबा 0.0002 हे० कुल रकबा 0.0045 है० यानी 45 वर्गमीटर स्थित ग्राम पूरेदीन नामगढ़ परगना व तहसील इकौना जनपद श्रावस्ती का बैनामा विपक्षी सं० 2 व 3 को गवाह बनाकर दफ्तर रजिस्ट्री इकौना जनपद श्रावस्ती में निष्पादित करवा लिया, विपक्षी सं० 1 आवेदिका के पति को तहसील इकौना में ही छोड़कर चले गये। आवेदिका के पति किसी तरह अपने घर आया और आवेदिका से बताया कि हमको तहसील इकौना ले गये थे और पेपर पर टाप लगवाकर हमको इकौना तहसील में ही छोड़कर चले गये थे। विपक्षीगण एक धोखेबाज व जाल फरेब किस्म के लोग हैं तथा गरीबों का जमीन इसी तरह धोखे में डालकर बैनामा करवा लेते हैं। आवेदिका का मात्र वही एक जमीन है जिस पर आवेदिका का इन्दिरा आवास बना हुआ है। जिसमें आवेदिका अपनी पुत्री के साथ किसी तरह गुजर–बसर कर रही है। दिनांक– 19/1/26 को विपक्षीगण आवेदिका के घर आये और कहने लगे कि यह घर खाली कर दो इसको आपके पति ने मेरे नाम से बैनामा कर दिया है तब

आवेदिका को बैनामा की जानकारी हुई। तब आवेदिका ने तहसील इकौना जाकर अपना अधिवक्ता नियुक्त किया और बैनामा की जानकारी करना चाहा लेकिन आर०के० कार्यालय से दाखिल खारिज की पत्रावली भी विपक्षीगण पैसा देकर गायब करवा दिये है, ताकि आवेदिका कोई आपत्ति पत्रावली में प्रस्तुत न करें। दिनांक–19.01.2026 को विपक्षीगण उपरोक्त मकान को खाली कराने आये और आवेदिका को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे और कहने लगे कि मादरचोद मकान खाली कर दो नहीं तो तुमको तुम्हारी पुत्री को जान से मारकर लाश गायब कर देगें। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाये।

आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदिका की ओर से स्वयं का शपथ पत्र तथा फेहरिस्त से पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती को दिये गये प्रार्थनापत्र की छाया प्रति, रजिस्ट्री रसीद तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है।

प्रार्थना पत्र के संदर्भ में थाना स्थानीय से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदन पत्र में वर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत न होने का उल्लेख किया गया है। प्रकरण की सत्यता को परखने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी से प्रारम्भिक जॉच आख्या आहूत की गयी। प्रारम्भिक जॉच आख्या में मुख्य रूप से यह उल्लेखित किया गया है कि आवेदिका का पति काफी बिमार रहता था व आवेदिका काफी असहाय थी जिसके कारण आवेदिका के पति के चचेरा भाई विद्याधर श्रीवास्तव से दवा इलाज के लिए आवेदिका व उसके पति जब जिवित थे तो मदद की मांग की थी। जिसका दवा इलाज के लिए विद्याधर आवेदिका के पति को दवा इलाज के लिए बहराइच ले गया व दवा इलाज कराया था। आवेदिका के पति देवेन्द्र श्रीवास्तव के द्वारा स्वयं ही जमीन के रजिस्ट्री की गयी है क्योंकि आवेदिका के पति देवेन्द्र श्रीवास्तव काफी बीमार रहते थे व उन्हे तात्कालिक समय पर पैसे की आवश्यकता थी व इसी कारण उन्होंने उक्त जमीन को बेचा था जिनके देहांत हो जाने के पश्चात उनकी पत्नी आरोप लगा रही है। आवेदिका को पहले से पता था कि आवेदिका के पति ने उक्त रजिस्ट्री किया है, जबकि हमने आवेदिका से पूर्व में यह भी कहा था की यदि आपको समस्या है तो जमीन वापस ले लिजिए व रजिस्ट्री का जो पैसा लगा है हमे सिर्फ वही लौटा दिजिए लेकिन आवेदिका पेशबंदी में व लोगों के बहकावे में आकर हम लोगों पर आरोप लगा रही है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदिका द्वारा प्रा० पत्र में किये गये कथनों तथा प्रारम्भिक जॉच आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुख्य रूप से आवेदिका व विपक्षीगण के मध्य भूमि के बैनामें को लेकर विवाद है, जो कि सिविल प्रकृति का है। ऐसा प्रतीत होता है कि

आवेदिका द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर सिविल प्रकृति के मामले को आपराधिक स्वरूप प्रदान करते हुये प्रा० पत्र योजित कर दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय All Carvo Movers(I) Pvt. Ltd. Vs. Dhanesh Badarmal Jain & others 2008 A.I.R. S.C. 247 में यह अवधारित किया गया है कि ''यदि किसी कृत्य के परिप्रेक्ष्य में सिविल अनुतोष उपलब्ध है तो ऐसी परिस्थिति में दाण्डिक कार्यवाही को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, और यह मात्र विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है''। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय Sagar Suri & others Vs. State of U.P. & others, 2000 (Vol.I) SCC 636 में यह अवधारित किया गया है कि ''प्रथम दृष्टया कोई तथ्य व्यवहारिक प्रकृति का है तो यदि उसे दाण्डिक स्वरूप देकर विधि के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो यह विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा क्योंकि दाण्डिक प्रक्रिया व्यवहारिक अनुतोष के लिए छोटा रास्ता नहीं हो सकता है''। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय Chandra Ratna Vs. K.C. Pallanisami & others, 2013(6)SCC 740 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ''दीवानी वाद को फौजदारी मामले में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को अस्वीकार किया जाना चाहिए''। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय Priyanka Srivastava Vs. State of U.P., 2015 SCC में यह मत व्यक्त किया गया है कि ''धारा–156(3) दं०प्र०सं०/173(4) BNSS के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते समय न्यायालय को विवेक का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया जाना चाहिए केवल प्रार्थना पत्र में संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख करने मात्र से मजिस्ट्रेट न्यायालय को यह बाध्यता नहीं है कि वह प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करे''।

उपरोक्त विवेचनानुसार वर्णित न्याय निर्णयन, संलग्न प्रपत्रों व थाने की प्रारम्भिक जॉच आख्या के प्रकाश में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विवेचना हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका गायत्री श्रीवास्तव का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) BNSS तदनुसार निरस्त किया जाता है।

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती।